



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 245/1995

गोवर्धन

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

आदेश हेतु दिनांक 30.04.2007 को सूचीबद्ध करें।



सही/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

न्यायाधीश



तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 245/1995

अपीलार्थी - गोवर्धन, पिता शोभनाथ बिंद, आयु 23 वर्ष, निवासी
ग्राम निरतु, थाना सिपत, तहसील एवं जिला बिलासपुर,
म.प्र. (वर्तमान छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी - मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़)

उपस्थित:

अपीलार्थी की ओर से श्री धर्मेश श्रीवास्तव, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री यू.के.एस. चंदेल, पैनल अधिवक्ता।

आदेश

(30.04.2007)

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

(1) यह अपील सत्र प्रकरण क्रमांक 437/1992 में माननीय पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा दिनांक 30.01.1995 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उक्त न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है।

(2) संक्षेप में तथ्य यह हैं कि अभियुक्तगण (कुल 4) के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 304-ख, 306 एवं 498-क के अंतर्गत आरोप विरचित किये गए थे। अपीलार्थी मृतका गजरा बाई का पति है। अन्य सह-अभियुक्तों में देवर (जेट, जो विचारण के दौरान मृत), जेटानी तथा मृतका के पति की भतीजी शामिल थे। अभियोजन का मामला यह था कि मृतका गजरा बाई, जो ग्राम बुडी की निवासी थी, का विवाह घटना की तिथि से लगभग 3-4 वर्ष पूर्व अपीलार्थी से हुआ था। दिनांक 20.05.1992 को, अपने ससुराल ग्राम निरतु में रहते हुए, मृतका ने विष का सेवन कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। प्रारंभ में अभियुक्तों ने इस घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी, किंतु जब ग्रामीणों के हस्तक्षेप के पश्चात् मामला प्रकाश में आया, तब परसराम (अभियुक्त क्रमांक 2) द्वारा दिनांक 26.09.1992 को थाना में मर्ग सूचना दर्ज कराई गई, जिसे पंजीकृत कर प्र.पी.3 के रूप में दर्ज किया गया। उसी दिन शव का मृत्यु समीक्षा प्र.पी..8 के तहत तैयार किया गया तथा शव को शव परीक्षण हेतु भेजा गया। मृतका के कुछ वस्त्र आदि भी प्र.पी.9 के तहत जब्त किए गए। शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.2 प्राप्त होने के पश्चात् विवेचना पूर्ण की गई और तत्पश्चात् उक्त चारों व्यक्तियों के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 306 एवं 304-ख के अंतर्गत अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया। सत्र न्यायालय ने भा.दं.सं. की धारा 498-क, 306 तथा वैकल्पिक रूप से 304-ख के अंतर्गत आरोप विरचित किए, जिन्हें अभियुक्तों ने अस्वीकार किया। विचारण पूर्ण होने के पश्चात् अन्य सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया, किंतु अपीलार्थी को केवल भा.दं.सं. की धारा 498-क के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है। उक्त दोषसिद्धि एवं दंडादेश के विरुद्ध ही अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

(3) अपीलार्थी की दोषसिद्धि अभियोजन साक्षी अ.सा. 5 लक्ष्मिन बाई, जो मृतका की माता है, तथा अ.सा. 8 बिरसपती बाई, जो मृतका की बुआ है, के साक्ष्य पर आधारित है। सत्र न्यायालय ने यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि जब मृतका तीजा पर्व के अवसर पर अपने मायके आई थी, तब उसने अपने माता-पिता को बताया कि एक बार

अपीलार्थी ने उसे इतनी मारपीट की थी कि वह 7 दिनों तक चल-फिर नहीं सकी। जब उसकी माता ने उससे मारपीट का कारण पूछा, तो उसने बताया कि उसके पति के उसकी जेटानी द्वारिका बाई (अभियुक्त क्रमांक 3) के साथ अवैध संबंध थे, इसी कारण उसे मारा-पीटा गया। लगभग इसी प्रकार का साक्ष्य बिरसपती बाई (अ.सा.8) द्वारा भी दिया गया, जिसके आधार पर अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 498-क के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया।

(4) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभिलेख पर ऐसा कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे अपीलार्थी को धारा 498-क के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जा सके। उनका यह भी कहना था कि जब सत्र न्यायालय ने अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 304-ख एवं 306 के अंतर्गत दोषमुक्त कर दिया है, तो स्वाभाविक रूप से उसे इस धारा से भी दोषमुक्त किया जाना चाहिए था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मृतका द्वारा इन दोनों साक्षियों के समक्ष दिए गए कथन, साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत ग्राह्य नहीं हैं और वे श्रुतलेख साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं। इन कथनों को छोड़कर अभिलेख पर अन्य कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अतः अपीलार्थी की दोषसिद्धि अपास्त की जानी चाहिए।

(5) इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि मृतका द्वारा अपनी माता एवं बुआ के समक्ष किए गए कथन साक्ष्य के रूप में ग्राह्य हैं तथा ऐसे साक्ष्य के आधार पर की गई दोषसिद्धि को चुनौती नहीं दी जा सकती।

(6) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(7) अभियोजन साक्षी अ.सा.5 लक्ष्मिन बाई (माता) ने कहा है कि जब उसकी पुत्री तीजा पर्व के अवसर पर उसके घर आई थी, तब उसने बताया कि अपीलार्थी ने उसे मारा-पीटा था, जिसके कारण वह 7 दिनों तक चल-फिर नहीं सकी। जब उससे पूछा गया कि उसे क्यों मारा गया, तो उसने बताया कि उसके पति के उसकी जेटानी द्वारिकी

बाई (अभियुक्त क्रमांक 3) के साथ अवैध संबंध थे, इसी कारण उसे मारा गया। इस साक्षी ने आगे कंडिका 3 में कहा कि लगभग एक-दो वर्ष तक लड़की उसके घर पर रही और तत्पश्चात्, कंडिका 5 एवं 6 के अनुसार, जब सास उसके घर आई और लड़की को पुनः अपने साथ ले गई, तब ससुराल में लगभग दो वर्ष रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अ.सा.8, जो मृतका की बुआ है, ने भी लगभग इसी प्रकार का अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतका के साथ उसके पति द्वारा जेटानी द्वारिकी बाई के साथ अवैध संबंधों के कारण क्रूरता की जाती थी। इन्हीं दोनों साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया गया है।

(8) जहाँ तक प्रथम तर्क का प्रश्न है कि जब अपीलार्थी एवं अन्य सह-अभियुक्तों को भा.दं.सं. की धारा 306 एवं 304-ख के अंतर्गत दोषमुक्त कर दिया गया है, तो उन्हें धारा 498-क के अंतर्गत भी दोषमुक्त किया जाना चाहिए था—यह तर्क स्वीकार्य नहीं है।

विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि भा.दं.सं. की धारा 306, 304-ख एवं 498-क एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं और एक में दोषमुक्ति होने से दूसरे में स्वतः दोषमुक्ति नहीं होती।

तथापि, धारा 498-क के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए अभिलेख पर ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य होना आवश्यक है। इस संदर्भ में गिरधर शंकर तावडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2002

(2) ए.एन.जे. (एस.सी.) 622 का अवलोकन किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रथम तर्क स्वीकार्य नहीं है।

(9) जहाँ तक द्वितीय तर्क का संबंध है, यह निर्विवाद है कि अपीलार्थी एवं अन्य अभियुक्तों का विचारण भा.दं.सं. की धारा 304-ख, 306 एवं 498-क के अंतर्गत किया गया था तथा विचारण के दौरान माता (अ.सा.5) एवं बुआ (अ.सा.8) के साक्ष्य अभिलिखित किए गए। उनके उक्त कथनों को उस समय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत अभिलेख पर लिया गया, जब अपीलार्थी का विचारण भा.दं.सं. की धारा 304-ख एवं 306 के अंतर्गत चल रहा था। ऐसे कथन धारा 32 की उपधारा (1) के अंतर्गत ग्राह्य थे, क्योंकि वे मृतका की मृत्यु के कारण अथवा उसकी मृत्यु से संबंधित परिस्थितियों से जुड़े हुए थे। किन्तु, भा.दं.सं. की धारा 498-क के अपराध के लिए ऐसे

कथन साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं हैं और उन्हें केवल श्रुतलेख साक्ष्य ही माना जाएगा। धारा 32, श्रुतलेख नियम का अपवाद है, जो मृत व्यक्ति द्वारा किए गए उन कथनों या घोषणाओं से संबंधित है, जो उसकी मृत्यु के कारण अथवा मृत्यु से संबंधित परिस्थितियों से जुड़ी हों। यदि कोई कथन, जो सामान्यतः श्रुतलेख साक्ष्य की श्रेणी में आता है, धारा 32 के अंतर्गत नहीं आता, तो उस पर धारा 498-A के अपराध में दोषसिद्धि हेतु भरोसा नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मेरे विचारों को गणनाथ पटनायक बनाम उड़ीसा राज्य, 2002 सीआर.एल.आर. (एससी) 175 के निर्णय से समर्थन प्राप्त होता है।

(10) वर्तमान प्रकरण में, मृतका के साथ पति द्वारा क्रूरता किए जाने तथा अभियुक्त क्रमांक 3 के साथ उसके अवैध संबंध होने के संबंध में माता एवं बुआ के उक्त साक्ष्य के अतिरिक्त, अपीलार्थी को धारा 498-क के अपराध से जोड़ने हेतु कोई अन्य विधिसम्मत साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। जब अपीलार्थी एवं अन्य अभियुक्तों को भा.दं.सं. की धारा 304-ख एवं 306 के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया, तब उपर्युक्त सिद्धांतों के अनुसार, माता (अ.सा.5) एवं बुआ (अ.सा.8) के साक्ष्य को धारा 498-क के प्रयोजन हेतु श्रुतलेख साक्ष्य की श्रेणी में रखा जाएगा, और ऐसे साक्ष्य के आधार पर की गई दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में संधारणीय नहीं सकती। इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त कथन के बाद मृतका लगभग दो वर्ष तक अपने मायके में रही और तत्पश्चात् जब वह पुनः ससुराल गई, तो वहाँ लगभग दो वर्ष रहने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी के विरुद्ध कोई ठोस विधिक साक्ष्य प्रतीत नहीं होता। अतः केवल माता एवं बुआ के ऐसे साक्ष्य के आधार पर की गई दोषसिद्धि को अपास्त किया जाना आवश्यक है।

(11) तदनुसार, यह अपील स्वीकार की जाती है। भा.दं.सं. की धारा 498-क के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किए जाते हैं। अपीलार्थी को धारा 498-क के आरोप से भी दोषमुक्त किया जाता है। उसके जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाएंगे।



सही/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

